न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 147 / 2025

1. ताराचन्द पुत्र बिशनाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र बिशनाराम
3. रामचन्द्र पुत्र बिशनाराम
4. सुशीला पुत्री बिशनाराम
5. शारदा पुत्री बिशनाराम

समस्त निवासीगण गाम आबूसर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।

——रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 11.07.2023 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम ताराचन्द वगैरह अन्तर्गत धारा 91 एल0आर0 एक्ट मु0नं0 06 / 2022

——

उपस्थित :—

1. श्री शंकरलाल मीणा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.03.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, झुंझुनूं के आदेश दिनांक 11.07.2023 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2023 के द्वारा अपीलान्ट्स को भूमि खसरा नं0 370 रकबा 2.56 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 0.04 है0 वाके ग्राम आबूसर तहसील व जिला झुंझुनूं से अपीलान्ट्स को अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखल करने हेतु व आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 50 रुपये बतौर शास्ति जुर्माना आरोपित कर निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील अपीलान्ट्स निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्स को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट्स को हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.07.2023 को अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट्स न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं। अपीलान्टस को जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि अपीलान्ट्स की अपने पूर्वज बिशनाराम के समय से ही कब्जे स्वामित्व हक अधिकार की रही है। बिशनाराम भूमिहीन व्यक्ति था। बिशनाराम करीबन 40—50 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज रहा है तथा उक्त भूमि को काफी मेहनत कर रिहायश योग्य बनाया गया हैं उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स काफी वर्षों से पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद है। इस प्रकार अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट / गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 11.07.2023 के द्वारा अपीलान्ट्स को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 11.07.2023 काबिले खारिज है। अपीलान्ट के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पूर्वज बिशनाराम द्वारा उक्त भूमि का नियमन करवाने हेतु ग्राम पंचायत आबूसर में आवेदन किया था जिस पर दिनांक 01.07.2008 को ग्राम पंचायत आबूसर में आवेदन किया था जिस पर दिनांक 01.07.2008 को ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर बिशनाराम के हक में नियमन किये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उपरोक्त अनुसार उक्त भूमि का कानूनन अपीलान्ट्स के हक में नियमन किया जाना चाहिए था। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट्स के हक में किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर योग्य अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2023 पारित करने से पूर्व केवल मात्र सम्बन्धित पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर बहस पारित किया है। उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलान्ट्स के पिता बिशनाराम को जारी किये गये थे। बिशनाराम की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट्स को प्रकरण के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये है परन्तु अपीलान्ट्स को प्रकरण के नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुये हैं। अपीलान्टस् की तामील मानने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट्स अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में अपने केस को साबित करते परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्स का उनके हक में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट्स को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 11.07.2023 पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवारी सरकार बनाम ताराचन्द वगैरह किस्म मुकदमा 91 एल0आर0 एक्ट मु0नं0 06/2022 में पारित निर्णय दिनांकित 11.07.2023 को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलान्ट्स के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्स को ना तो सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट्स को हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.07.2023 को अपीलान्ट्स को बिना सुने अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट्स न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये हैं। अपीलान्टस को जिस भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है वह भूमि अपीलान्ट्स की अपने पूर्वज बिशनाराम के समय से ही कब्जे स्वामित्व हक अधिकार की रही है। बिशनाराम भूमिहीन व्यक्ति था। बिशनाराम करीबन 40–50 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज रहा है तथा उक्त भूमि को काफी मेहनत कर रिहायश योग्य बनाया गया हैं उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स काफी वर्षों से पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद है। इस प्रकार अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 11.07.2023 के द्वारा अपीलान्ट्स को उक्त आराजीयात से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 11.07.2023 काबिले खारिज है। अपीलान्ट के पूर्वज बिशनाराम द्वारा उक्त भूमि का नियमन करवाने हेतु ग्राम पंचायत आबूसर में आवेदन किया था जिस पर दिनांक 01.07.2008 को ग्राम पंचायत आबूसर में आवेदन किया था जिस पर दिनांक 01.07.2008 को ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर बिशनाराम के हक में नियमन किये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उपरोक्त अनुसार उक्त भूमि का कानूनन अपीलान्ट्स के हक में नियमन किया जाना चाहिए था। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट्स के हक में किये जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर योग्य अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.07.2023 पारित करने से पूर्व केवल मात्र सम्बन्धित पटवारी हल्का की मौका

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर बहस पारित किया है। उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलान्ट्स के पिता बिशनाराम को जारी किये गये थे। बिशनाराम की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट्स को प्रकरण के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये है परन्तु अपीलान्ट्स को प्रकरण के नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं हुये हैं। अपीलान्टस् की तामील मानने में विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट्स अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में अपने केस को साबित करते परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्स का उनके हक में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट्स को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांकित 11.07.2023 पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाल टाईप का निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवारी सरकार बनाम ताराचन्द वगैरह किस्म मुकदमा 91 एल0आर0 एक्ट मु0नं0 06/2022 में पारित निर्णय दिनांकित 11.07.2023 को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादग्रस्त आराजियात का नियमन अपीलान्ट्स के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्टस ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर पक्का आवास बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्टस ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम आबूसर स्थित भूमि ख0न0 370 रकबा 2.56 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्टस का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत ने दिनांक 28.03.2023 को तामीली हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.04.2023 नियत की। दिनांक 26.04.2023 को आदेशिका नहीं लिखी गई एवं दिनांक 13.06.2023 को अपीलान्टस को अनुपस्थित मानकर पत्रावली दिनांक 11.07.2023 को फैसले के लिए रखकर फैसला कर दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अपील अपीलान्ट स्वीकार/खारीज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर, झुंझुनूं